प्रेस नोट
दिनांक 23.06.2026

थाना को0 नगर पुलिस द्वारा अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल के निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री अजीत कुमार रजक के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री आनन्द कुमार राय के नेतृत्व में थाना को0 नगर पुलिस द्वारा वर्मा तिराहे से फत्तापुरवा जाने वाले मार्ग से अभियुक्त मोनिश पुत्र स्व0 रफीक निवासी महराजगंज थाना को0 नगर जनपद गोण्डा को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 22.06.2026 को उ0नि0 विभव तिवारी मय हमराह के साथ क्षेत्र में संदिग्ध वाहन/व्यक्तियों की चेकिंग की जा रही थी। इसी दौरान वर्मा तिराहे से फत्तापुरवा जाने वाले मार्ग पर संदिग्ध व्यक्ति दिखने पर उसके रोक कर चेक किया गया तो उसके कब्जे से 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर, 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद हुआ। पूछताछ में अभियुक्त ने अपना नाम मोनिश पुत्र स्व0 रफीक बताया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 नगर पुलिस द्वारा गिरफ्तारी व बरामदगी के आधार पर थाना स्थानीय में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. मोनिश पुत्र स्व0 रफीक निवासी महराजगंज थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी–

01. 01 अदद अवैध तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–585/2025, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम–

01. उ0नि0 श्री विभव तिवारी
02. का0 अनिल यादव
03. कां0 शिवम तिवारी

मीडिया सेल, गोण्डा।